(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

रामचन्द्र आदि बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

किस्म मुकदमाः– 8(2) कोलो.एक्ट प्रकरण संख्याः–06/2021 (GCMS No. 2021/169)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने संशोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2019 को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी संख्या 1 के नाम से वाके चक 2 पीपीएम के पत्थर नं. 97/392 (2) के किला नं. 24/0.228, 25/0.228 व प्रार्थी नं. 2 के नाम से वाके चक 2 पीपीएम के पत्थर नं. 96/394 (15) के किला नं. 21/0.202, प्रार्थी सं. 3 के नाम से इसी चक के पत्थर नं. 96/393 के किला नं. 20/0.228, 21/0.228 व पत्थर नं. 96/394 के किला नं. 1/0.228, 10/0.228, 11/0.228, 20/0.228 हैक्टर रकबा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण के नाम से अंकनशुदा रकबा में पत्थर नं. 97/392 के किला नं. 24–25 में 0.025–0.025 हैक्टर गै0मु0 रास्ता व पत्थर नं. 96/393 के किला नं. 1–10–11–20–21 प्रत्येक किला में 0.025 हैक्टर गै0मु0 रास्ता व इसी प्रकार पत्थर नं. 96/394 के किला नं. 1–10–11–20–21 के प्रत्येक किलाजात में 0.025 हैक्टर गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है। जो मौका पर बन्द पड़ा है। उक्त वर्णित रास्ता का कभी उपयोग व उपभोग नही हुआ है। इसी चक के पत्थर नं. 97/392 के किला नं. 21 ता 23 में अंकित रास्ता से पश्चिमी दिशा में पत्थर नं. 97/393 के किला नं. 3–8–13–18–23 व पत्थर नं. 97/394 के किला नं. 3–8–13–18–23 में बने रास्ता का उपयोग किया जा रहा है। यह रास्ता प्रार्थीगण के सुविधा के अनुसार है। आवागमन में कम समय व छोटा रास्ता है। चक 2 पीपीएम के पत्थर नं. 97/392 के किला नं. 24–25 का रकबा प्रार्थी सं. 1 के पिता लाखाराम के नाम से खातेदारी रकबा रोही मोहम्मदाबाद के खसरा संख्या 124 के 28.06 बीघा रकबा से पैमुद रकबा है। इसी चक 2 पीपीएम के पत्थर नं. 96/393 व 96/394 के किला नं. 1–10–11–20–21 का रकबा प्रार्थी नं. 2 के पिता महीराम प्रार्थी नं. 3 के पिता पोकरराम के खातेदारी रकबा रोही मोहम्मदाबाद के खसरा संख्या 110 के 55.08 बीघा रकबा से पैमुद हुआ है। उक्त खसरों से उक्त किलों में वर्णित रास्ता के नाम से चकबंदी के समय दर्ज हो गया है। इसलिये उक्त रास्ता निरस्त किया जाकर पुनः खातेदारी दर्ज करवाने के हकदार हे। प्रार्थीगण संख्या 3/1 ता 3/8 ने अपने खातेदारी रकबा वाके चक 2 पीपीएम के पत्थर नं. 97/393 के किला नं. 16–17, पत्थर नं. 96/393 के किला नं. 19–20 के उत्तरी पासा में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं जैरप्रकरण रकबा का मौका निरीक्षण किया गया। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 03.06.2025 अनुसार उक्त रास्ता काफी वर्षो से बंद बताया है तथा मेरे स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण में भी उक्त रास्ता बंद था। आगवामन हेतु चक 2 पीपीएम के पत्थर नं. 97/393 के किला नं. 3–8 एवं गै0मु0 आबादी के पत्थर नं. 97/393 के किला नं. 13–18–23 तथा पत्थर नं. 97/394 के किला नं. 3–8–13–18–23 में से रास्ता चल रहा है। इसलिये पूर्व में अंकित जैर प्रकरण गै0मु0 रास्ता निरस्त किया जाकर उक्त चक 2 पीपीएम के पत्थर नं. 97/393 के किला नं. 3–8 तथा पत्थर नं. 97/394 के किला नं. 3–8–13–18–23 के पूर्वी पासा में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत एवं प्रार्थीगण संख्या 3/1 ता 3/8 के नाम से अंकित खातेदारी रकबा चक 2 पीपीएम के पत्थर नं. 97/393 के किला नं. 16–[illegible] न. 96/393 के किला नं. 19–20 के उत्तरी पासा में 2–2 बिस्वा रास्ता [illegible] सहमति अनुसार स्वीकृत किया जाना हम उचित समझते है। प्रार्थीगण [illegible] निरस्त किये गै0मु0 रास्ता के खातेदारी अंकन करने का निवेदन किया है परन्तु उक्त प्रकरण में यह मांग स्वीकार की जानी उचित नहीं है। प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित है। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.28 17:10.17 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण सं. 06/2024
अनवानः– रामचन्द्र आदि बनाम सरकार व अन्य
अन्तर्गत धाराः– 8(2) कोलो.एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2025	अतः प्रार्थना पत्र (संशोधित) प्रार्थीगण दिनांक 03.04.2019 आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ के चक 2 पीपीएम के पत्थर नं. 97/392 के किला नं. 24–25, पत्थर नं. 96/393 एवं पत्थर नं. 96/394 के किला नं. 1–10–11–20–21 में अंकित गै0मु0 रास्ता को निरस्त किया जाकर आराजीराज दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तथा इसी चक के आराजीराज रकबा पत्थर नं 97/393 के किला नं. 3–8 तथा पत्थर नं. 97/394 के किला नं. 3–8–13–18–23 के पूर्वी पासा में एवं प्रार्थीगण संख्या 3/1 ता 3/8 (बिरमा देवी वगैरा) के नाम से अंकित खातेदारी रकबा चक 2 पीपीएम के पत्थर नं. 97/393 के किला नं. 16–17 व पत्थर नं. 96/393 के किला नं. 19–20 के उत्तरी पासा में 2–2 बिस्वा रास्ता उनकी सहमति अनुसार स्वीकृत किया जाकर गै0मु0 रास्ता अंकन करने का आदेश दिया जाता है। राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार अंकन किया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ को इस आदेश की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.28 17:10:17 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

क्रमांक/राजस्व/प्रा.पत्र/06/2021/28.10.2025/6007 दिनांकः– 28.10.2025

तहसीलदार
सूरतगढ़

विषयः–राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 06/2021 रामचन्द्र आदि बनाम सरकार व अन्य अन्तर्गत धारा 8(2) कोलो. एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2025 की पालना करने हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना पत्र (संशोधित) प्रार्थीगण दिनांक 03.04.2019 आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ के चक 2 पीपीएम के पत्थर नं. 97/392 के किला नं. 24–25, पत्थर नं. 96/393 एवं पत्थर नं. 96/394 के किला नं. 1–10–11–20–21 में अंकित गै0मु0 रास्ता को निरस्त किया जाकर आराजीराज दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तथा इसी चक के आराजीराज रकबा पत्थर नं. 97/393 के किला नं. 3–8 तथा पत्थर नं. 97/394 के किला नं. 3–8–13–18–23 के पूर्वी पासा में एवं प्रार्थीगण संख्या 3/1 ता 3/8 (बिरमा देवी वगैरा) के नाम से अंकित खातेदारी रकबा चक 2 पीपीएम के पत्थर नं. 97/393 के किला नं. 16–17 व पत्थर नं. 96/393 के किला नं. 19–20 के उत्तरी पासा में 2–2 बिस्वा रास्ता उनकी सहमति अनुसार स्वीकृत किया जाकर गै0मु0 रास्ता अंकन करने का आदेश दिया जाता है। राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार अंकन किया जावे।

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.28 17:10:17 IST
Reason: SelfAttested